तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुरारीलाल शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कार्यालय संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1553	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक प.11(07) (04) भू.अ./2025/ई–00140/293 दिनांक 09.09.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 24.06.2025 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित सूचना जिला झुंझुनू से सम्बंधित होने के कारण उक्त मूल आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 201 दिनांक 02.07.2025 द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित किया गया। जिस पर लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज कर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित सूचना जिला झुंझुनू से सम्बंधित होने के कारण उक्त मूल आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 201 दिनांक 02.07.2025 द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित किया गया। जिस पर लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा अपने पत्र क्रमांक 304 दिनांक 19.08.25 द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज कर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्तविवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	